



संदर्भ.सं.राबै.डीएफआईबीटी/ 4841 – 5264 /डीएफआईबीटी-23/2020-21

04 जनवरी 2021

परिपत्र सं. 04 / डीएफआईबीटी - 03 / 2021

- 1) अध्यक्ष
सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
- 2) प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी
सभी राज्य सहकारी बैंक / सभी जिला केंद्रीय सहकारी बैंक

महोदय / महोदया,

<u>वित्तीय समावेशन निधि (एफआईएफ) से सहायता – भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) पर ऑनबोर्डिंग के लिए योजना</u>	<u>Support from Financial Inclusion Fund (FIF)- Scheme for On-boarding to Bharat Bill Payment System (BBPS)</u>
<p>कृपया दिनांक 14 सितंबर 2018 के परिपत्र सं. 240/डीएफआईबीटी-37/2018 का अवलोकन करें जिसके माध्यम से ग्रामीण सहकारी बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को बीबीपीएस प्लेटफार्म पर ऑनबोर्डिंग करने के लिए सूचित किया गया था ताकि ग्राहकों को ऑनलाइन बिल भुगतान सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें.</p>	<p>Please refer to the Circular No.240/DFIBT-37/2018 dated 14 September 2018 whereby Rural Cooperative Banks (RCBs) and Regional Rural Banks (RRBs) were advised to on-board BBPS platform to offer online bill payment services.</p>
<p>2. बैंकों को अपने ग्राहकों को ऑनलाइन यूटिलिटी भुगतान सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से वित्तीय समावेशन निधि की विभेदीकृत नीति के तहत बीबीपीएस प्लेटफार्म पर ऑनबोर्डिंग के लिए सहायता की योजना शुरू की गई है ताकि ग्राहक ऑनलाइन बिल भुगतान की सुविधा का अनुभव प्राप्त कर सकें.</p>	<p>2. In order to encourage banks to provide facility of online utility payment services to their customers, the support for onboarding on BBPS platform has been introduced under differentiated strategy of FIF so that rural customers may experience the benefits of online bill payments.</p>

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

National Bank for Agriculture and Rural Development

वित्तीय समावेशन और बैंकिंग प्रौद्योगिकी विभाग

प्लॉट नं. सी-24, 'जी' ब्लॉक, बांद्रा - कुर्ला कॉम्प्लेक्स बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051. • टेलि.: +91 22 2653 0024 • फैक्स : +91 22 2653 0150 • ई-मेल : dfibt@nabard.org

Department of Financial Inclusion & Banking Technology

Plot No. C-24, 'G' Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051. • Tel.: +91 22 2653 0024 • Fax : +91 22 2653 0150 • E-mail : dfibt@nabard.org

3. योजना से संबंधित विवरण निम्नानुसार है :

i) **योजना** : योजना का नाम है - भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) पर ऑनबोर्डिंग हेतु सहायता के लिए योजना.

ii) **उद्देश्य**: योजना का उद्देश्य है भारत बिल भुगतान परिचालन इकाई (बीबीपीओयू) के साथ बैंक के इंटीग्रेशन की एकबारगी लागत की प्रतिपूर्ति करना.

iii) **पात्र संस्थाएँ** :

सभी लाइसेन्स प्राप्त ग्रामीण सहकारी बैंक (आरसीबी) और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) जिन्होंने कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) को लागू किया है और जो पहले ही बीबीपीएस पर ऑनबोर्डिंग कर चुके हैं या जहाँ ऑनबोर्डिंग की प्रक्रिया जारी है.

iv) **सहायता की मात्रा**:

प्रति बैंक ₹2.00 लाख की एकबारगी अनुदान सहायता अथवा वास्तविक व्यय की 90% राशि विशेष फोकस वाले जिलों (एसएफ़डी) के लिए; 80% राशि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए और 90% राशि अन्य जिलों के ग्रामीण सहकारी बैंकों के लिए, इनमें से जो भी कम हो, दी जाएगी.

v) **सहायता के घटक** :

बीबीपीएस एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) का बैंक की ग्राहक परिचालन इकाई (सीओयू) द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले ज्योग्राफिकल यूजर इंटरफेस (जीयूआई) के साथ इंटीग्रेशन.

3. The details of the scheme are as under:

i) **Scheme**: The name of the scheme is **Support for on-boarding to Bharat Bill Payment System (BBPS)**.

ii) **Objective**: The objective of the scheme is to reimburse one time integration cost of the Bank with the Bharat Bill Payment Operating Unit (BBPOU).

iii) **Eligible Institutions**:

All licensed Rural Cooperative Banks (RCBs) and Regional Rural Banks (RRBs) having implemented Core Banking Solution (CBS) and which have on-boarded BBPS or are in the process of on-boarding the same.

iv) **Extent of Support**:

The maximum eligible one-time grant support is ₹2.00 lakh per bank or 90% of the actual expenditure in case of Special Focus Districts (SFDs); 80% in case of RRBs and 90% for RCBs in case of other districts, whichever is lower.

v) **Components of support**:

Integration with the BBPS Application Programming Interfaces (APIs) and Front end Graphical User Interfaces (GUIs) extended by the Customer Operating Units (COUs) to the Bank.

<p>यह ध्यान दिया जा सकता है कि सभी लेनदेन बेहतर प्रशासन और समृद्ध ग्राहक अनुभव के लिए NPCI / BBPCU के माध्यम से रूट किया जाना चाहिए।</p> <p>vi) अनुदान सहायता प्राप्त करने के लिए बैंकों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया :</p> <p>बैंक द्वारा मंजूरी हेतु प्रस्ताव और दावा दिनांक 23 अप्रैल 2019 के परिपत्र सं. 105/ डीएफआईबीटी-04/ 2019 के अनुबंध III और IV के अनुसार नाबार्ड के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत किया जाए।</p> <p>जो बैंक योजना के अंतर्गत एफआईएफ अनुदान के लिए पहले बार आवेदन कर रहे हैं, वे, यदि दिनांक 20 मार्च 2018 के नाबार्ड के परिपत्र सं. 52/ डीएफआईबीटी-05/ 2018 के अनुसार नाबार्ड के साथ पहले करार निष्पादित न कर चुके हों, तो उसे निष्पादित करें।</p>	<p>It may be noted that all transactions must be routed through NPCI/BBPCU for better governance and enriched customer experience.</p> <p>vi) Procedure to be followed by banks to avail grant support:</p> <p>The Banks may submit the proposal for sanction and claim as per Annexure – III and IV of Circular No.105/ DFIBT-04/2019 dated 23 April 2019 to the concerned Regional Office of NABARD.</p> <p>The Banks, which are seeking FIF grant under the scheme for the first time, may execute a Memorandum of Agreement with NABARD as per Circular No. 52/ DFIBT-05/ 2018 dated 20 March 2018, if not executed earlier.</p>
--	---

भवदीय



(डी. नागेश्वर राव)

मुख्य महाप्रबंधक